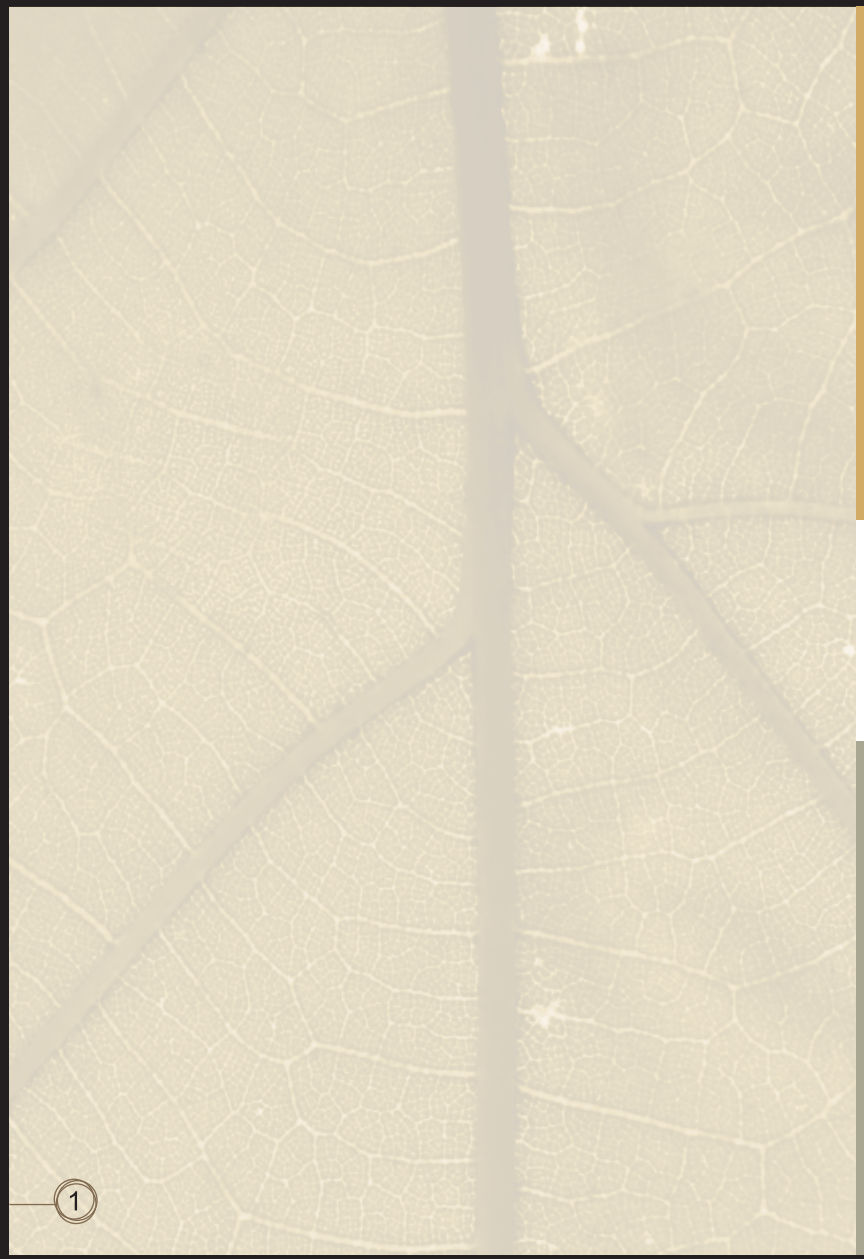

1

2

बीडी श्रमिकों के कल्याण हेतु कानून एवं योजनाएं

बीडी श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बीडी एवं सिगार कर्मचारी अधिनियम, १९६६ का निर्माण किया गया है, जिसके प्रावधानों का प्रवर्तन राज्य सरकारों के श्रम विभाग द्वारा जाता है, इस कानून के तहत श्रम विभाग के पदाधिकारी निरीक्षक घोषित है। कानून की धारा ४ में बीडी उद्योग में लगे नियोजकों अनुज्ञप्ति ; प्राप्त करने का प्रावधान है।

बीडी मजदूरों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, पालनाघर, कैंटिन एवं कार्य के घंटे निर्धारित है, परन्तु इस प्रावधानों का लाभ वैसे ही बीडी मजदूरों को मिल पाता है, जो नियोजकों के औद्योगिक परिसर में कार्यरत रहते है, बीडी मजदुरों के लिए छुट्टी, बोनस, उपादन का प्रावधान है, साथ ही कामगारों को नियाजक के खिलाफ दंड का भी प्रावधान है।

इस कानून के तहत विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का लाभ घरखाता मजदुरों को मिलता है। भारत के दक्षिणी राज्यों में मजदुरी के साथ बोनस की राशि एवं छुट्टी की राशि का भी भुगतान होता है।

वर्तमान में बीडी मजदुरों के संबंध में समस्या है कि अधिकांश बीडी निर्माता औद्योगिक परिसर में मजदुरों से काम न कराकर घरखाता मजदुरों द्वारा बीडी निर्माण कराया जाता है, जिसके कारण बीडी मजदुर सुविधा से वंचित रह जाते हैं। औद्योगिक परिसर में केवल सेकाइॅ, लेबलिंग तथा पैकिंग का कार्य होता है।

बीडी मजदुरों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बीडी कर्मकार कल्याण विधि कानून १९७६ का कार्यान्वयन कराया जाता हैए इसके लिए बीडी कल्याण निधि का गठन किया गया है। इस निधि के द्वारा बीडी मजदुरों को स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा सहायता, आवासीय एवं मनोरंजन योजनाओं के तहत विभिन्न कल्याणकारी कार्य होते हैं।

बीडी कर्मकार कल्याण विधि कानून १९७८ के अन्तर्गत गठित बीडी कल्याण निधि नियमावली, १९७८ के प्रावधानों के तहत बीडी नियोजकों वर्तमान में पॉच रुपये प्रति इक हजार बीडी पर उप–कर (सेस या लेवी) वसूली जाती है। इसी वसूली गई उप–कर से बीडी मजदुरो के कल्याणर्थ विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है।

बीडी श्रमिकों के लिए बीडी कल्याण कोष नियमावली १९७८ के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार को कल्याण कोष के प्रशासनिक मुल्यांकन एवं प्रक्रिया संबंधी सलाह देती है। केन्द्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम मंत्री ओर राज्य स्तरीय सलाहकार समितियों के अध्यक्ष संबंधित राज्य के श्रम मंत्री होते है । त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों में सरकार के सदस्यो के अतिरिक्त श्रमिकों एवं नियोजकों के सदस्यों की संख्या बराबर–बराबर होती है सलाहकार समितियों का गठन आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उडीसा, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तरप्रदेश एवं पश्चिमबंगाल के राज्यों में हुआ है।

भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी अवधारणा को मूर्तरुप देने हेतु भारत सरकार ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन का गठन किया है। संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी महानिदेशक (श्रम कल्याण) के निर्देशन में कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इस संगठन का मुख्यालय जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली में स्थित है । श्रम कल्याण संगठन बीडी मजदुरों के लिए बीडी एवं सिगार मजदुर कल्याण कोष कानून, १९७६ के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है। देश के विशाल क्षेत्र के मद्देनजर योजना के कार्यान्वयन हेतु देश को ९ क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र एक कल्याण एवं उपकार आयुक्त के आधिन योजना के लाभो को लाभार्थियों तक पहुॅचाता है । विभिन्न कल्याण एवं उपकार आयुक्त के कार्यालयों के मुख्यालय एवं उसके अन्तर्गत क्षेत्रों का विवरण निम्न है।

मुखायालय के अधिन राज्यों एवं संयुक्त टेरिटरी का नाम

क्रं.सं.	मुखायालय	मुखायालय के अधिन राज्यों एवं संयुक्त टेरिटरी का नाम
१	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मु एवं कश्मीर, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चण्डीगढ का संयुक्त टेरीटरी
२	बंगलोर	कर्नाटक, केरल एवं लक्ष्यदीप
३	भीलवाडा	राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा
४	भूवनेश्वर	उडीसा
५	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु, पॉण्डीचेरी एवं एंदामान निकोबर
६	जबलपुर	मध्य प्रदेश
७	करमा	बिहार एवं झारखंड
८	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दिउ और दादर एवं नगर हवेली
९	कोलकाता	आसाम, अरूणचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमबंगाल एवं सिक्किम

बीडी मजदूर कल्याण निधि के अन्तर्गत निम्न कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त वितरण :

१. स्वत्स्थ्य संबंधी योजनाएं

२. शिक्षा संबंधी योजनाएं

३. आवास संबंधी योजनाएं

४. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

५. मनोरंजन संबंधी योजनाएं

स्वास्थ्य आवास शिक्षा मनोरंजन सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं

१. स्वास्थ्य संबंधी निम्न योजनाएं संचालित होती है।

(क) स्थायी-सह-चलित औषधालय खोलने की योजना :
इस योजना के तहत बीडी मजदूरों की संख्या पांच हजार होने पर स्थायी- सह- चलित तथा तीन हजार परन्तु पांच हजार से कम होने पर स्थायी या चलित औषधालय खोलने का प्रावधान है।

(ख) प्रसुति लाभ योजना :
प्रथम दो प्रसव तक महिला बीडी श्रमिकों को १०००/- रू. की दर से अनुदान देय है।

(ग) परिवार नियोजन ऑपरेशन योजना :-
बीडी मजदूरों को दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर २००/- रू. अनुदान, इस योजना का लाभ जीवन में एक बार पति या पत्नी द्वारा लिया जा सकता है।

(घ) चश्मे की राशी के भुगतान की योजना :-
बीडी श्रमिकों को चश्मा खरीदने पर १५०/- रू. तथा लैंस हेतु २०/- रू. प्रति श्रमिक देय है। इस योजना का लाभ सिर्फ बीडी श्रमिक को ही प्रदान किया जाता है, उनके आश्रितों को नहीं।

(ड.) ट्रदय रोग एवं किडनी के इलाज की योजना :-
योजनांतर्गत हृदय रोग के इलाज के लिए अधिकतम १३००००/- रू. तथा किडनी के इलाज के लिए अधिकतम २०००००/- रू. देय है, इसी योजना के तहत ९ माह तक ९५०/- रू. से १०००/- रू. तक निर्वाह भत्ता देय है।
इलाज प्रारंभ करने से पूर्व कल्याण आयुक्त से अनुमति लेना जरूरी है।

(च) घर पर ही क्षय (टी.बी.) रोग के इलाज की योजना :

दवाइयों के खर्च हेतु ५०/- रू. प्रति माह तथा ९ माह तक ६००/- रू. से ७५०/- रू. तक निर्वाह भत्ता देय है। विशेष परिस्थिति में इसे तीन माह बढाया भी जा सकता है।

(छ) कैंसर के इलाज की योजना :

इलाज हेतु सपूर्ण आर्थिक सहायता, इलाज किसी मान्यता प्राप्त कैंसर अस्पताल से लिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत ९ माह तक निर्वाह भत्ता ६००/- रू. से ७५०/- रू. तक देय है तथा रोगी एवं अटेंडेंट को यात्रा भत्ता एवं ५०/- रू. प्रति दिन प्रति व्यक्ति देय है। इलाज पूर्व कल्याण आयुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

(ज) कुष्ठ रोग उपचार योजना :

आन्तरिक रोग के इलाज की सुविधा होने पर प्रतिदिन ३०/- रू. या कुल व्यय तथा बाह्य रोगी के इलाज के लिए प्रतिदिन ६/- रू. या कुल व्यय जो कम हो देय है। निर्वाह भत्ता २००/- रू. से ३००/- रू. ९ माह तक बीडी मजदूरों को देय है।

(झ) मानसिक रोग के उपचार की योजना :

मान्यता प्राप्त अस्पताल में मानसिक रोग का इलाज कराने पर राजकीय शैय्याओं के लिए १८०/- रू. प्रति माह, तृतीय श्रेणी के लिए स्वतंत्र शैय्या के लिए ९००/- रू. प्रति माह ६ माह के लिए देय। रोगी के आश्रितों को ६००/- रू. से ७५०/- रू. तक प्रति माह ९ माह तक निर्वाह भत्ता देय।

(ञ) क्षय (टीबी) रोग अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना :

रोगी बीडी श्रमिकों को ९ माह तक नि:शुक्ल चिकित्सा तथा इस अवधि के लिए ६००/- रू. से ७५०/- रू. तक निर्वाह भत्ता, १५/- रू. प्रतिदिन खुराक भत्ता या प्रतिवर्ष प्रति रोगी २००००/- रू. अनुदान देय।

२. शिक्षा संबंधी योजनाएं

शिक्षा संबंधी वित्तीय लाभ निम्नलिखित दर पर दिये जाते हैं :

कक्षा	प्रकार	छात्राएं(रू.)	छात्र(रू.)
कक्षा १ से ४ तक	ड्रेस/स्लेट/पुस्तकें	२५०.००	२५०.००
कक्षा ५ से ८ तक	वित्तीय सहायता	९४०.००	५००.००
कक्षा ९	वित्तीय सहायता	११४०.००	७००.००
कक्षा १०	वित्तीय सहायता	१८४०.००	१४००.००
कक्षा ११ से १२ तक	वित्तीय सहायता	२४४०.००	२०००.००
पी.यु.सी १ तथा २ स्नातक /तीन वर्षीय डिप्लोमा	वित्तीय सहायता	३०००.००	३०००.००
व्यवसायिक डिग्री (बी.ई./एम.बी. बी.एस./बी.एम.सी.कृषि	वित्तीय सहायता	८०००.००	८०००.००

विदित हो कि योजनान्तर्गत यह लाभ केवल बीडी श्रमिकों के बच्चों के लिए ही उपलब्ध है।
प्रत्येक साल १५ सितम्बर के पूर्व ही वांछित प्रपत्रों में आवेदन करना पडता है।

३. आवास संबधी योजनाएं

१. बीडी मजदूरों के लिए संशोधित समेकित आवास योजना, २००७ :

जिन बीडी श्रमिकों के पास एक साल से अधिक पुराना परिचय पत्र अपनी जमीन या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से जमीन है, वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करने पर ४०,०००/– रू. अनुदान दो किस्तों में देय। अधिकांश राज्य सरकारें अपने राज्य के बीडी श्रमिकों को उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त कुछ राशि या अनुदान के रूप में देती है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों का मासिक आय ६,५००/– रू. से अधिक नही होना चाहिए।

२. बीडी श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं को वर्क–शेड एवं गोदाम निर्माण हेतु आर्थिक सहायता :

योजनान्तर्गत १,५०,०००/– रू. या कुल व्यय (लागत) का ७५ प्रतिशत जो भी कम हो दो किस्तों में देय।

४. समाजिक सुरक्षा योजनाएं

समूह बीमा योजना :

योजनान्तर्गत बीडी श्रमिक की स्वाभाविक मृत्यु होने पर १०,०००/– रू. तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर २५,०००/– रू. वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर देय। आंशिक अंग क्षतिग्रस्त होने पर भी योजनान्तर्गत १२,५००/– रू. की क्षतिपूर्ति देय।

५. मनोरंजन संबंधी योजनाएं

१. चलचित्र प्रदर्शन :

योजनान्तर्गत बीडी श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में श्रम कल्याण संगठन द्वारा नि:शुक्ल चलचित्र का प्रदर्शन

२. टेलिविजन सेट प्रदान करने की योजना :

योजनान्तर्गत रंगीन टी.वी. क्रय हेतु १०,०००/– रू. तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट टी.वी. क्रय हेतु ४,०००/– रू. प्रदान करने का प्रावधान।

३. खेल–कूद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन की योजना :

उक्त प्रयोजन हेतु प्रबंधन द्वारा किये गए कुल व्यय का ५० प्रतिशत या अधिकतम २,०००/– रू. प्रति वर्ष देय। श्रम कल्याण संगठन द्वारा जहां १०००० बीडी श्रमिक हो, आयोजन करने पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए १०,०००/– रू. खर्च करने का प्रावधान।

४. होली – डे – होम योजना (पुरी–उडीसा) :

श्रमिक को आने–जाने हेतु द्वितीय श्रेणी रेल किराया मय आरक्षण, पुरी में प्रति श्रमिक ३/– रू. साइड सीन चार्ज तथा होली–डे–होम पुरी में तीन दिन तक नि:शुल्क ठहरने की सुविधा।

५. बीडी श्रमिकों की आवासीय कॉलोनी में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु सहायता योजना:

योजनान्तर्गत सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु अधिकतम एक लाख रूपये तक का अनुदान देय।